

**THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX  
(AMENDMENT) ACT, 1970**

(UTTAR PRADESH ACT NO. 33 OF 1970)

[\**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970*]

AN  
ACT

*further to amend the United Provinces Entertainments and Betting Tax Act, 1937*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1970.

Short title.

2. In section 3 of the United Provinces Entertainments and Betting Tax Act, 1937; in sub-section (1), for the words "not exceeding seventy-five per cent of the payment for admission" the words "not exceeding seventy-five per cent of the payment for admission where such payment does not exceed one rupee, and cent per cent thereof in any other case", shall be substituted.

Amendment  
of section 3 of  
U. P. Act VIII  
of 1937.

3. Chapter IV of Uttar Pradesh Taxes and Fees Laws (Amendment) Ordinance, 1970, is hereby repealed.

Repeal of Chap-  
ter IV of U. P.  
Ordinance no.  
14 of 1970.

[\*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated July 10, 1970].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 10, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 16, 1970).

[Received the Assent of the Governor on December 25, 1970, under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated December 26, 1970].

**उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड वीटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, 1970**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 16 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।)

(“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 25 दिसम्बर, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

यूनाइटेड प्राविसेज एन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड वीटिंग टैक्स ऐक्ट, 1937 को अग्रेतर संशोधन करने के लिये

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड वीटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, 1970 संक्षिप्त नाम कहलायेगा ।

2—यूनाइटेड प्राविसेज एन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड वीटिंग टैक्स ऐक्ट, 1937 की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द “प्रवेश शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगा” के स्थान पर शब्द “प्रवेश शुल्क के एक सय से अधिक न होने की दशा में प्रवेश शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगा और किसी अन्य दशा में उसके शतप्रतिशत से अधिक न होगा” रख दिये जायें ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 8, 1937 की धारा 3 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1970 का अध्याय 4 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1970 के अध्याय 4 का निरसन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 10 जुलाई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

Price 05 Paise.